कार्यालय संचालक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी
(राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)
एयरपोर्ट बायपास रोड गांधी नगर के पास, भोपाल
फोन – 0755–2678815, 12

क्र./यूआईटी/आरजीपीवी/शैक्ष/2022/ भोपाल दिनांकः

बस फीस के संबंध में सूचना

ऐसे समस्त छात्रों को जो कि संस्था से पाँच किलोमीटर के दायरें में निवास करते है एवं महाविद्यालय बस सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहते है, को सूचित किया जाता है कि इस हेतु आवेदन दिनांक 18/04/2022 तक श्री अशोक साहू, कुशल सहायक, के पास इलेक्ट्रानिक्स विभाग मे जमा कर सकते है। इस तिथि के पश्चात जमा किये गये आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नही होगा । प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु बस अनिवार्य है अतः उन्हे बस शुल्क में छूट हेतु आवेदन देने की आवश्यक्ता नही है।

बस सुविधा का लाभ नही लेने हेतु आवेदक को निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगाः–

1. उसे इस आशय का दस रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह संस्था से पाँच किलोमीटर के दायरे में निवास करता है एवं महाविद्यालय बस सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहता है । इस शपथ–पत्र में छात्र का पता उल्लेखित होगा और यह भी उल्लेखित होगा कि वह इस पते पर किस तिथि से निवास कर रहा है एवं उसके निवास स्थान की संस्था से कितनी दूरी है। यदि छात्र किराये के मकान में रह रहा है, तो शपथ–पत्र मकान मालिक एवं छात्र सम्मिलित रूप से देंगे एवं यदि वह माता–पिता के साथ रह रहा है, तो शपथ–पत्र माता/पिता एवं छात्र सम्मिलित रूप से देंगे।
2. शपथ–पत्र के अतिरिक्त छात्र को निवास स्थान के पते के साक्ष्य के रूप में लैंडलाईन टेलीफोन के बिल की छायाप्रति जमा करनी होगी एवं यदि उक्त पते में लैंडलाईन टेलीफोन उपलब्ध नहीं है तो बिजली के बिल की छायाप्रति जमा करनी होगी।
3. छात्रों को उपरोक्त शपथ–पत्र एवं दस्तावेजों को संलग्न करते हुये, संचालक महोदय को बस सुविधा का लाभ न लेने हेतु निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन प्रस्तुत करना होगा। (आवेदन का प्रारूप आदेश के साथ संलग्न है) इस आवेदन को सर्वप्रथम विभागाध्यक्ष से अग्रेषित करवाकर श्री अशोक साहू के पास जमा करना होगा। उपरोक्त आवेदन–पत्र एवं शपथ–पत्र में छात्र को अपना नामांकन क्रमांक आवश्यक रूप से उल्लेखित करना होगा।
4. तदोपरांत बस प्रभारी द्वारा अग्रेषित किये गये छात्रों के आवेदनों को संचालक महोदय की अनुमति के पश्चात बस सुविधा में छूट की पात्रता होगी।
5. आवेदन की सत्यता का सूक्ष्म परीक्षण करवाया जावेगा एवं आवेदन गलत पाये जाने की स्थिति में छात्रों के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी।
   - i- उन्हें रू. 7200/– का आर्थिक दण्ड देय होगा।
   - ii- उन्हें बस शुल्क जमा करना होगी।
   - iii- उन्हें छः माह के लिये संस्था से निष्काशित किया जावेगा।
   - iv- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

Office-12H/39

Scanned with CamScanner

उपरोक्त के दृष्टिगत छात्रों को समझाईश दी जाती है, कि वे गलत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करे, अन्यथा उनको बिन्दु क्र. 05 में उल्लेखित दुष्प्रभाव को झेलना पड़ेगा।

संस्था प्रशासन के संज्ञान में यह बात लाई गयी है कि कतिपय छात्रों द्वारा बस फीस में छूट पाने के लिये झूठे शपथ–पत्रों का सहारा लिया जा रहा है। उपरोक्त को रोकने के लिये, ऐसे छात्र जिन्हें कि उपरोक्तानुसार बस फीस में माफी दी जावेगी, उनकी सूची सूचना–पटल एवं संस्था की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जावेगी ताकि अन्य छात्रों से प्रकरण के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की जा सकें ।

प्रवेश के समय शुल्क जमा करने में अनावश्यक विलंब से बचने के लिये छात्रों को यह भी सलाह दी जाती है कि वह ससमय आवेदनों को जमा करे एंव शुल्क जमा करने एवं बस शुल्क में छूट के लिए आवेदन देने के मध्य न्यूनतम एक कार्य दिवस का अंतर रखे ।

((डॉ.) सुधीर सिंह भदौरिया)
संचालक

भोपाल, दिनांक :

पृष्ठा.क्र. / यूआईटी–आरजीपीवी / शैक्ष / 2022 /

प्रतिलिपि–

1. समस्त विभागाध्यक्ष EC / CSE / IT / EX / ME / CE / PC / AU / MCA यूआईटी–आरजीपीव्ही, भोपाल को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
2. बस प्रभारी, आरजीपीव्ही, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित् । कृपया यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक कार्य दिवस में दोपहर 4.00 बजे तक बस सुविधा माफी हेतु पात्र आवेदनों को उसी दिवस संस्था के पोर्टल में इंगित कर दिया जावे ।
3. लेखा शाखा, यूआईटी–आरजीपीव्ही, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
4. छात्रावास अधीक्षक उनके हॉस्टल में रह रहे छात्रों के शुल्क माफी के लिए महाविद्यालय के पोर्टल में उपलब्ध छात्रावास के log in के माध्यम से बस शुल्क में छूट की पात्रता ससमय अंकित करें।

(डॉ.सुधीर सिंह भदौरिया)
संचालक

Scanned with CamScanner